पुस्तकालय

3198
28/3/12

सत्यमेव जयते

असंशोधित

13 MAR 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०...436...तिथि...28-3-12

तारांकित प्रश्न संख्या-१२८२ का पूरक

श्री श्रवण कुमार : महोदय, राज्य के अनेक 10+2 विद्यालय में भवन के लिए उपस्कर के लिए जो पैसे राज्य सरकार के द्वारा दिये गये थे, अनेक विद्यालयों में पैसे का उपयोग नहीं होने के चलते पैसा सरेंडर कर दिया महोदय तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य के उन सभी विद्यालयों को अगले वित्तीय वर्ष में पैसा फर्नीचर के लिए, भवन के लिए और अन्य सामग्री के लिए जो दिया गया था, वह दिया जायेगा या नहीं ?

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, अव्यवहृत राशि वापस कर दी गयी और कंसोलडेटेड फंड में कोषागार के माध्यम से जमा हो गयी, इसलिए महोदय उस वित्तीय वर्ष में पुनः उस राशि को दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में योजना में भवन निर्माण एवं उपस्कर आदि क्रय करने के लिए प्रावधान करने का अनुरोध शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है वित्त विभाग से । महोदय, जितनी राशि का उपबंध किये जाने का प्रस्ताव है, उसमें सभी विद्यालयों, जिनकी अव्यवहृत राशि वापस हो गयी थी, उनका निर्माण संभव नहीं हो पायेगा महोदय । क्योंकि राशि बहुत अधिक वापस हुई थी और जो प्रावधान है, उसमें कम राशि का उपबंध प्रस्तावित है । इसलिए, ऐसा सरकार विचार रखती है कि जिन विद्यालयों के भवन का निर्माण एक स्तर तक पहुंच गया, जैसे- लिंटर होना है, छत की ढ़लाई होनी है, वैसे विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर जो राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध होगी, उस राशि से विद्यालयों का निर्माण चरणवद्ध तरीके से कराया जा सकेगा ।

श्रीमती मुन्नी देवी : महोदय, कबतक होगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मुन्नी देवी जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राशि मुहैया करा दी जायेगी ।

श्रीमती मुन्नी देवी : महोदय, फर्नीचर के लिए जो पैसा गया था, वह लौटकर आ गया है..

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में तो माननीय मंत्री जी ने तो स्वीकार किया ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, जिनकी वजह से यह राशि सरेंडर की गयी और स्कूल वंचित रहा, वहां के बच्चे को इसका लाभ नहीं मिलेगा महोदय, क्या सरकार उनपर सख्त कार्रवाई करना चाहती है कि जिनके वजह से यह पैसा वापस हुआ ?

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, पैसा अव्यवहृत रहना यह आवश्यक नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के डेलिब्रेट एक्शन से हुआ है । महोदय, विभिन्न कारण हैं । महोदय, हमलोगों के राज्य में कैपेसिटी की भी कमी रही है, सामग्रियों का अभाव रहा है, इंजीनियर की कमी रही है । महोदय, जिन विद्यालयों के भवन निर्माण में किसी व्यक्ति के द्वारा जानबुझ कर राशि खर्च नहीं की गयी और भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं कराया गया, वैसे व्यक्तियों को चिंहित करके उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, बैठिए । माननीय सदस्या श्रीमती लेशी सिंह, माननीय मंत्री शिक्षा । बैठिए राजेश्वर राज जी । यह बिहार का प्रश्न नहीं था, यह प्रश्न चिंहित है एक जिले के एक प्रखंड का । बैठिए ।

(व्यवधान)

उसको अलग से लाइयेगा । माननीय सदस्य वीरेन्द्र जी, इस तरह से नहीं, आप उस सवाल को अलग से लायें । माननीय सदस्या श्रीमती लेशी सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं०-१२८३, श्रीमती लेशी सिंह

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, खंड-१- स्वीकारात्मक है ।

खंड-२ एवं ३ - माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है ।

प्रश्नाधीन विद्यालयों में आगामी नियोजन में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई सम्पन्न की जायेगी ।

श्रीमती लेशी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कबतक छात्र/छात्राओं के हित में 10+2 विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, समय-सीमा भी बताया जाय ?

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, मैंने सूचित किया कि परीक्षा ली जा चुकी है और हमें उम्मीद है कि अप्रील महीने में परीक्षाफल आयेगा और उसके उपरान्त नियोजन की कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं०-१२८४, श्री अशोक कुमार सिंह

(इस अवसर पर मा० सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह सदन में अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं०-१२८५, श्री अमरनाथ गामी

श्री प्रशांत कुमार शाही, मंत्री : महोदय, खंड-१, २ एवं ३ - अस्वीकारात्मक है ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मापदंड के आलोक में ५ किलोमीटर के त्रिज्या में माध्यमिक विद्यालय न होने की स्थिति में मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण करने की योजना है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन कन्या मध्य विद्यालय, पतोर से १.५ कि०मी० की दूरी पर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, आनंदपुर एवं उच्च विद्यालय, आनंदपुर अवस्थित है । अतः प्रश्नाधीन विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करना वर्त्तमान नीति में संभव नहीं है ।

श्री अमरनाथ गामी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए काफी गंभीर है, सुदूर स्कूल में जाने के कारण पढ़ाई छोड़ देती है । प्रक्रिया को सरल बनाकर कन्या मध्य विद्यालय को उच्च मध्य विद्यालय में परिवर्त्तित करने की इच्छाशक्ति सरकार रखती है ?